न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 167/2019 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : **राज्य सरकार** बनाम कंवरलाल

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उदरासर पण्डरीकपुरा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल कंवरलाल पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी उदरासर पण्डरीकपुरा द्वारा ग्राम उदरासर पण्डरीकपुरा के आराजी खसरा नम्बर 89 तादादी 2.87 है. किस्म भूमि गै.मु. श्मशान भूमि में से 912 वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् 2075 में नाजायज पक्का मकान अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया। गैर सायल ने निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल ने जवाब नोटिस में लिखा कि हमने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। हमारा जो मकान बना है वह आबादी भूमि में स्थित है कार्यवाही ड्रोप कराई जावे।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर पक्का मकान अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल कंवरलाल का उक्त खसरा नम्बर 89 तादादी 2.87 है. पक्का मकान भूमि में से 912 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल कंवरलाल अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल कंवरलाल जाति जाट निवासी उदरासर पण्डरीकपुरा द्वारा ग्राम उदरासर पण्डरीकपुरा के आराजी ख.नं. 89 तादादी 2.87 है. पक्का मकान . भूमि में से 912 वर्गमीटर भूमि का सम्वत् 2025 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.09 का 50 गुणा से 5=00 रूपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.3.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार

श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राज